

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2021—आषाढ़ 11, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

फा. क्र. 2075-इक्कीस-ब(दो)-2021.—राज्य शासन, एतद्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 441-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 21 जनवरी 2021 तथा 987-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 18 फरवरी 2021 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं/उप शासकीय अधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

7057

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2021

क्र. एफ-3-63-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 3151-वि.यो.-496-नगानि-2020, भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित सतना विकाय योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सतना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिका निगम, सतना, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सतना विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक. कृषि	4 4	4.14.1 4.14.1	पी-एस-1 एवं 2 प्रशासनिक/ संस्थायें ए-2 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित)	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

स्थापना कक्ष

भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. 15-स्था.- (1-ब)-19-260.—उद्योग संचालनालय अंतर्गत मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जनवरी 2021 को प्रश्न-पत्र (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग) “उद्योग विभाग संबंधी नियम अधिनियम” विषय में सम्पन्न हुई थी, जिसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के नाम स्थापना कक्ष के आदेश क्र. 15-स्था.-1-ब-2019-173 दिनांक 26 मार्च 2021 से जारी किये गये थे. उक्त आदेश के क्रमांक 16 पर अंकित श्री महेश कुमार वैष्णव के नाम के स्थान पर श्री मुकेश कुमार वैष्णव पढ़ा जावे. शेष यथावत् रहेगा.

अम्बरीष अधिकारी, उप संचालक उद्योग.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

क्र. एफ-15-11-2018-दस-2.—मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	वनमण्डल (2)	परिक्षेत्र (3)	स्थल (4)	कक्ष क्रमांक (5)	क्षेत्रफल (हे. में) (6)	सीमायें (7)
1	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	पनपथा बफर	निमुआ कछार	आरक्षित वन-405	0.598	पूर्व-आर.एफ. 405 एवं पनिहानाला पश्चिम-आर.एफ. 405, अर्जुन द्वार उत्तर-भदार नदी एवं बकेली ग्राम दक्षिण-निपनिया ग्राम.
2	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	पनपथा बफर	अर्जुन द्वार	आरक्षित वन-405	0.879	पूर्व-आर.एफ. 405, निमुआ कछार पश्चिम-आर.एफ. 406, जलहलीधाम उत्तर-भदार नदी दक्षिण-आर.एफ. 404, बिरूहली.
3	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.	पनपथा बफर	गब्दीघाट	आरक्षित वन-512	0.427	पूर्व-पी.एफ. 184, ए एवं बी (पतौर कौर) एवं भदार नदी पश्चिम-आर.एफ. 405 उत्तर-भदार नदी दक्षिण-निपानिया गा.म.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

क्र. एफ-15-11-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-15-11-2018-दस-2 दिनांक 23 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 23rd June 2021

No.-F-15-11-2018-X-2.—In exercise of the powers conferred by the rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hact.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya	Panpatha Buffer	Nimua Kachhar	RF-405	0.598	East—RF-405 and Panihanala West—RF-405, Arjun Dwar North—Bhadar River and Bakeli Village. South—Nipaniya Village.
2.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya	Panpatha Buffer	Arjun Dwar	RF-405	0.879	East—RF-405, Nimua Kachhar West—RF-406, Jalhalidham North—Bhadar River South—RF-404, Biruhali.
3.	Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya	Panpatha Buffer	Gabdi Ghat	RF-512	0.427	East—PF-184 A& B (Pator Core) And Bhadar River. West—RF-405 North—Bhadar River South—Nipaniya Village.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
आदेश

जबलपुर, दिनांक 16 जून 2021

क्र. रजि.-106-डी.एन.एल.यू.-2021.—मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, क्रमांक 24 सन् 2018 की धारा 29(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एवं कुलाधिपति, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रोफेसर वी. नागराज, प्रोफेसर ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागरभावी, बेंगलुरु, कर्नाटक को धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर में कुलपति के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है।

सेवा से संबंध में निर्बंधन व शर्तें (Terms and Conditions), Dharmashastra National Law University Act 2018; Statutes of the Dharmashastra National Law University, 2020 (Statute-III) and Regulations of the Dharmashastra National Law University, 2020 (Part-II) के अधीन होंगे।

यथा निर्देशित, कार्यभार ग्रहण नियुक्ति पत्र प्राप्ति से 10 दिवस के अंदर किया जाना अनिवार्य है।

आनन्द कुमार तिवारी, कुलसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 अप्रैल 2021

मौजा-बरकोटीकलॉ पट. ह. नं.-03 तहसील देवरी

क्र. 02-अ-82-2021-22-भू-अर्जन-3436.—चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सूरजपुरा परियोजना दांयी तट मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है. परियोजना के निर्माण से लगभग 4325 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि (स्थावर परिसंपत्ति) का अर्जन किया जाता है :—

- (1) परियोजना का नाम— सूरजपुरा मध्यम परियोजना दांयी तट मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण.—
- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—केसली
- (ग) ग्राम—बरकोटीकलॉ
- (घ) पट. ह. नं. 03
- (ङ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—0.339 हेक्टेयर.

अनुसूची-1

स. क्र.	भूमि स्वामी का विवरण	स्वामित्व का अधिकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण (हे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्रीदेव जानकी रमण जी मंदिर ग्राम बरकोटीकलॉ मुह. लक्ष्मीप्रसाद रामाधार सा. देह प्रबंधक कलेक्टर पता सागर.	भूमिस्वामी	203	0.74	0.03	
2	रज्जू गोपाल, कमलेश, नत्थी, माया, गोदा, प्रीति पिता बल्ली, अवधरानी बेवा बल्ली पता सागर.	भूमिस्वामी	204/1	0.80	0.10	
3	हल्ली पुत्री, रम्मू इमरत पिता रम्मू, सदारानी बेवा रम्मू, लखन पिता रम्मू, सावित्री पुत्री रम्मू, परम पिता परमू, लक्ष्मन पिता रम्मू पता देवरी.	भूमिस्वामी	211	0.65	0.084	
4	खिलान पिता नंदराम पता. सा. देह	भूमिस्वामी	223	0.77	0.08	
5	रमन, परषोत्तम, अर्जुन, मुन्ना पिस. काशीराम, नत्थीबाई पुत्री काशीराम, जयपाल, राजकुमार, सल्टू पिस. डेलन क्राँतिबाई पुत्री डेलन, सुन्दरबाई, महूनाबारी बेवा डेलन सा. देह	भूमिस्वामी	352	0.12	0.005	
6	लालसिंग, हरिराम पिता काशीराम, पंचोबाई, बूठीबाई पुत्री काशीराम.	भूमिस्वामी	532/3	0.40	0.04	
योग :				3.48	0.339	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29-9-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29-10-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जून 2021

क्र. 654.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, सन् 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील हर्ई, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम चौरासी, प. ह. नं. 13 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-375.113 हेक्टेयर.	ग्राम—चौरासीढाना, प. ह. नं. 13

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

प्ररूप-ख

नियत 5 उपनियम (2) देखिए

होशंगाबाद, दिनांक 22 जून 2021

पत्र क्र. 18-भू-अर्जन-2021.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुख्य पंपिंग स्टेशन (MPS) से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम किशनपुर उर्फ आदमगढ़ एवं ग्राम रसूलिया, तहसील नगर होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड, परियोजना क्रियान्वयन इकाई होशंगाबाद द्वारा भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. 30 (तीस) दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	रसूलिया	31/2	0.081 हे. (810 व. मी.)
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	रसूलिया	32/1	0.041 हे. (410 व. मी.)
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	रसूलिया	32/2	0.041 हे. (410 व. मी.)
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	किशनपुर	20/2	0.134 हे. (1340 व. मी.)
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	किशनपुर	23	0.081 हे. (810 व. मी.)
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	किशनपुर	29	0.093 हे. (930 व. मी.)
योग . .				0.471 हे. (4710 व. मी.)

फरहीन खान, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र. एफ-3-70-अठारह-5-2021.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत मुरैना विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-79-2007-32, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007 को निरस्त करते हुये विशेष क्षेत्र (माधवराव काउण्टर मैग्नेट) ग्वालियर-मुरैना विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) उपधारा (1)	पदनाम (2)	संस्था/पता (3)	समिति में पद (4)
(क)	महापौर	नगर पालिक निगम, मुरैना	सदस्य
	अध्यक्ष	नगर पंचायत, बानमौर	सदस्य
(ख)	1. अध्यक्ष	जिला पंचायत, ग्वालियर	सदस्य
	2. अध्यक्ष	जिला पंचायत, मुरैना	सदस्य
	3. अध्यक्ष	जिला पंचायत, भिण्ड	सदस्य
(ग)	1. संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, ग्वालियर	सदस्य
	2. संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, मुरैना	सदस्य
	3. संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, भिण्ड	सदस्य
(घ)	2. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, ग्वालियर ग्रामीण	सदस्य
	3. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, मुरैना	सदस्य
	4. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, सुमावली	सदस्य
	5. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, गोहद	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	साडा (माधवराव काउण्टर मैग्नेट)	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, घाटीगांव	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, मुरैना	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, गोहद	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरई (जिला ग्वालियर)	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, जेबरा (जिला ग्वालियर)	सदस्य
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत, जिंगसौली (जिला ग्वालियर)	सदस्य
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत, कैथा (जिला ग्वालियर)	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
21. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुलैथ (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
22. सरपंच	ग्राम पंचायत, महाराजपुरा (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
23. सरपंच	ग्राम पंचायत, मेहदपुर (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
24. सरपंच	ग्राम पंचायत, मिलावली (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
25. सरपंच	ग्राम पंचायत, नयागाँव (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
26. सरपंच	ग्राम पंचायत, ओडपुरा (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
27. सरपंच	ग्राम पंचायत, पनिहार (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
28. सरपंच	ग्राम पंचायत, रामपुरा (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
29. सरपंच	ग्राम पंचायत, रायपुर (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
30. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिगोरा (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
31. सरपंच	ग्राम पंचायत, सोजना (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
32. सरपंच	ग्राम पंचायत, तिघरा (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
33. सरपंच	ग्राम पंचायत, तिलघना (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
34. सरपंच	ग्राम पंचायत, निरावली (जिला ग्वालियर)	सदस्य	
35. सरपंच	ग्राम पंचायत, ऐंती (जिला मुरैना)	सदस्य	
36. सरपंच	ग्राम पंचायत, बडवारी (जिला मुरैना)	सदस्य	
37. सरपंच	ग्राम पंचायत, बमूरबसई (जिला मुरैना)	सदस्य	
38. सरपंच	ग्राम पंचायत, बमौरखुर्द (जिला मुरैना)	सदस्य	
39. सरपंच	ग्राम पंचायत, बैंधा (जिला मुरैना)	सदस्य	
40. सरपंच	ग्राम पंचायत, भानपुर (जिला मुरैना)	सदस्य	
41. सरपंच	ग्राम पंचायत, चुरेहला (जिला मुरैना)	सदस्य	
42. सरपंच	ग्राम पंचायत, धनेला (जिला मुरैना)	सदस्य	
43. सरपंच	ग्राम पंचायत, दीखतपुरा (जिला मुरैना)	सदस्य	
44. सरपंच	ग्राम पंचायत, दोरावली (जिला मुरैना)	सदस्य	
45. सरपंच	ग्राम पंचायत, गडाजर (जिला मुरैना)	सदस्य	
46. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुलेन्द्रा (जिला मुरैना)	सदस्य	
47. सरपंच	ग्राम पंचायत, हेतमपुर (जिला मुरैना)	सदस्य	
48. सरपंच	ग्राम पंचायत, हुसैनपुर (जिला मुरैना)	सदस्य	
49. सरपंच	ग्राम पंचायत, जखोदा (जिला मुरैना)	सदस्य	
50. सरपंच	ग्राम पंचायत, जरेरूआ (जिला मुरैना)	सदस्य	
51. सरपंच	ग्राम पंचायत, जारोनी (जिला मुरैना)	सदस्य	
52. सरपंच	ग्राम पंचायत, जगनगर (जिला मुरैना)	सदस्य	
53. सरपंच	ग्राम पंचायत, करौला (जिला मुरैना)	सदस्य	
54. सरपंच	ग्राम पंचायत, करूआ (जिला मुरैना)	सदस्य	
55. सरपंच	ग्राम पंचायत, खरगपुर (जिला मुरैना)	सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
	56. सरपंच	ग्राम पंचायत, खिरावली (जिला मुरैना)	सदस्य
	57. सरपंच	ग्राम पंचायत, लभनपुरा (जिला मुरैना)	सदस्य
	58. सरपंच	ग्राम पंचायत, लोहगढ़ (जिला मुरैना)	सदस्य
	59. सरपंच	ग्राम पंचायत, मड़राई (जिला मुरैना)	सदस्य
	60. सरपंच	ग्राम पंचायत, महटौली (जिला मुरैना)	सदस्य
	61. सरपंच	ग्राम पंचायत, मसूदपुर (जिला मुरैना)	सदस्य
	62. सरपंच	ग्राम पंचायत, मितावली (जिला मुरैना)	सदस्य
	63. सरपंच	ग्राम पंचायत, नायकपुरा (जिला मुरैना)	सदस्य
	64. सरपंच	ग्राम पंचायत, नूराबाद (जिला मुरैना)	सदस्य
	65. सरपंच	ग्राम पंचायत, पचोखरा (जिला मुरैना)	सदस्य
	66. सरपंच	ग्राम पंचायत, पढावली (जिला मुरैना)	सदस्य
	67. सरपंच	ग्राम पंचायत, पहाड़ी (जिला मुरैना)	सदस्य
	68. सरपंच	ग्राम पंचायत, पारौली (जिला मुरैना)	सदस्य
	69. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरई (जिला मुरैना)	सदस्य
	70. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरसेवा (जिला मुरैना)	सदस्य
	71. सरपंच	ग्राम पंचायत, रचौली (जिला मुरैना)	सदस्य
	72. सरपंच	ग्राम पंचायत, राँसू (जिला मुरैना)	सदस्य
	73. सरपंच	ग्राम पंचायत, सेवा (जिला मुरैना)	सदस्य
	74. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिकरौदा (जिला मुरैना)	सदस्य
	75. सरपंच	ग्राम पंचायत, उराहना (जिला मुरैना)	सदस्य
	76. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरेण्डा (जिला मुरैना)	सदस्य
	77. सरपंच	ग्राम पंचायत, मालनपुर (जिला भिण्ड)	सदस्य
(ज)	15. प्रतिनिधि	आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	सदस्य
	16. प्रतिनिधि	आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना	सदस्य
	17. प्रतिनिधि	मुख्य वनसंरक्षक, ग्वालियर	सदस्य
	18. प्रतिनिधि	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर	सदस्य
	19. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	20. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	21. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर (म. प्र.).	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र. एफ-3-51-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा शिवपुरी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र. एफ-3-51-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-03-51-2021-अठारह-5, दिनांक 24 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 24th June 2021

No. F-3-51-2021-XVIII-5.—Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Shivpuri (Planning Area) 2035 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Gwalior division, Gwalior, Madhya Pradesh
2. Collector, District Shivpuri, Madhya Pradesh
3. Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Guna, Madhya Pradesh
4. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Parishad Shivpuri, Madhya Pradesh

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of M. P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 29 जून 2021

भू-सर्वेक्षण को बन्द करने की घोषणा

क्र. 272-2021-CLR-भू-सर्वेक्षण-2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 10 जुलाई 2020 में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1093/भूप्र/2020, ग्वालियर, दिनांक 9 जुलाई 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2021

क्र. एफ-01-05-2016-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला सतना की तहसील अमरपाटन की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा के पटवारी हल्का 01 से 24 तक (कुल 59 ग्रामों) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा तहसील रामपुर बाघेलान की सीमाएं, उसमें, राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा के पटवारी हल्का 01 से 24 तक (कुल 59 ग्रामों) को सम्मिलित करते हुए, परिवर्तित करती है.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. एफ-15-1-2021-सात-शा-7.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित पूर्व वन ग्राम के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गयी है. अतः राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित हस्तांतरित वन ग्राम को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करती है:—

अनुसूची

जिला—होशंगाबाद

क्रमांक	पूर्व वन ग्राम का नाम/वन परिक्षेत्र	तहसील का नाम	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाये गए ग्राम की चतुर्सीमाएं	वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म. प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	धाई (सोहागपुर).	बाबई	नया धाई	221.643	पूर्व में—खाकरापुरा ग्राम पश्चिम में—कांकडी ग्राम उत्तर में—खारदा ग्राम दक्षिण में—डोभ	क्र मांक/एफ/ 15-05-/2021/ 10-2, दिनांक 25-1-2021
2	सांकई (इटारसी).	इटारसी (केसला).	नया सांकई	150.000	पूर्व में—अमावड ग्राम की भूमि पश्चिम में—झालई विस्थापित ग्राम, टेमला खुर्द की भूमि. उत्तर में—धाईखुर्द की भूमि दक्षिण में—जंगल सरकार.	क्र मांक/एफ/ 25-54-/2019/ 10-3, दिनांक 1-10-2019.
3	भाड़भूड (सुखतवा).	इटारसी (केसला).	नया भाड़भूड	169.280	पूर्व में—जंगल सरकार पश्चिम में—काला आखर उत्तर में—चोकीपुरा ग्राम दक्षिण में—सांकई टोला 3.	क्र मांक/एफ/ 15-08-/2020/ 10-2, दिनांक 22-7-2020.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	खकरापुरा (सुखतवा).	इटारसी (केसला).	नया खकरापुरा	112.000	पूर्व में-बैतूल जिले की सीमा पश्चिम में-श्रीढाना विस्थापित ग्राम उत्तर में-झिरना टोला की भूमि (काला आखर का टोला). दक्षिण में-बैतूल जिले की सीमा.	क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020.
5	श्रीढाना (सुखतवा).	इटारसी (केसला)	नया श्रीढाना	40.000	पूर्व में-खकरापुरा विस्थापित ग्राम पश्चिम में-चीपाखेड़ा गाँव उत्तर में-झिरना टोला की भूमि दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020.
6	जाम (सुखतवा).	इटारसी (केसला)	नया जाम	146.920	पूर्व में-भरगदा ग्राम का टोला (बंदी टोला) पश्चिम में-N.H. 69 भोपाल-नागपुर रोड उत्तर में-ग्राम घोघरा रैयत (खकरापुरा टोला) दक्षिण में-भरगदा ग्राम की भूमि.	क्रमांक/एफ/15- 08-/2020/10- 2, दिनांक 22- 07-2020.
7	बोरी (सोहागपुर).	बाबई	नया बोरी	246.000	पूर्व में-सोहागपुर तहसील की सीमा पश्चिम में-खारदा ग्राम की सीमा उत्तर में-झालौन ग्राम की सीमा दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020.
8	कांकडी (सोहागपुर).	बाबई	नया कांकडी	40.000	पूर्व में-धाई ग्राम पश्चिम में-साकोट ग्राम उत्तर में-खूटिया ग्राम दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020.
9	साकोट (सोहागपुर)	बाबई	नया साकोट	102.000	पूर्व में-कांकडी ग्राम पश्चिम में-आजनढाना उत्तर में-डोलरियाखुर्द दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020.
10	जामढाना (सोहागपुर).	बाबई	नया जामढाना	40.000	पूर्व में-कांकडी ग्राम पश्चिम में-खामदा उत्तर में-साकोट ग्राम दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक एफ-15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 08-2020.
11	माना (सोहागपुर).	बाबई	नया माना	215.000	पूर्व में-झालई पश्चिम में-मोहगांव ग्राम उत्तर में-गुराडिया खुर्द दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक/एफ/25- 55-/2019/10- 3, दिनांक 31- 08-2020.
12	मालनी (सोहागपुर).	बाबई	नया मालनी	174.000	पूर्व में-आजनढाना पश्चिम में-नया चूरनाग्राम उत्तर में-प्रेमतला राजस्व ग्राम की सीमा दक्षिण में-जंगल सरकार.	क्रमांक/एफ/25- 53-/2019/10- 3, दिनांक 03- 10-2019.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्हमान खान, उपसचिव.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 01 जुलाई 2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 276-2021-CLR-11 भू-प्रबंधन-भू सर्वे-2021.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	होशंगाबाद	बाबई	नया धाई	60	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नयाधाई
2	होशंगाबाद	इटारसी (केसला)	नया सांकई	10	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र नया सांकई
3	होशंगाबाद	इटारसी (केसला)	नया भाड़भूड	56	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र नया भाड़भूड
4	होशंगाबाद	इटारसी (केसला)	नया खकरापुरा	55	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया खकरापुरा
5	होशंगाबाद	इटारसी (केसला)	नया श्रीढाना	55	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया श्रीढाना
6	होशंगाबाद	इटारसी (केसला)	नया जाम	47	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया जाम
7	होशंगाबाद	बाबई	नया बोरी	59	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया बोरी
8	होशंगाबाद	बाबई	नया कांकडी	60	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया कांकडी
9	होशंगाबाद	बाबई	नया साकोट	60	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया साकोट
10	होशंगाबाद	बाबई	नया जामढाना	60	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया जामढाना
11	होशंगाबाद	बाबई	नया माना	57	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नयामाना
12	होशंगाबाद	बाबई	नया मालनी	48	संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया मालनी

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. रा. आ-सात-शा-8-2021-22-345.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विशेष रूप से आपदाओं के शमन के उद्देश्य हेतु निर्मित परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा मिटीगेशन फण्ड का गठन करती है।

SR. No.-R. C.-VII-S-8-2021-22-345.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 48 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the State Government, hereby, constitutes the State Disaster Mitigation Fund (SDMF) for projects exclusively for the purpose of mitigation.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, राहत आयुक्त एवं प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 50-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2020-9837 मौजा गिरवर पट.ह.नं.-102 तहसील सागर सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता/निर्माण II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना (263 किमी)
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सागर 3- सरपंच ग्राम पंचायत गिरवर विकास खण्ड सागर 4- सचिव ग्राम पंचायत गिरवर विकास खण्ड सागर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	गिरवर
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.048
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 269, 274, 275, 276, 277, 278, 282 रकवा क्रमशः 1.100, 0.690, 0.020, 0.400, 1.100, 0.870, 1.140 में से कुल रकवा 2.048 है।
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना (263 किमी)
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	2.048 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 13-अ-82-20-21-भू-अर्जन-20-4307 मौजा लिधौरा खुर्द पट.ह.नं.-97 तहसील सागर सागर, दिनांक 7 जुलाई 2020

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता, निर्माण-॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3- सरपंच ग्राम पंचायत लिधौरा खुर्द 4- सचिव ग्राम पंचायत लिधौराखुर्द
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	लिधौरा खुर्द
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.329 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150/1, 150/2, 151, 153 में से कुल रकवा 2.329 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बाधत्।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 2.329 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.329 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 14-अ-82-20-21-भू-अर्जन-20-4309 मौजा रंगोली पट.ह.नं.-104 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता, निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3- सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली 4- सचिव ग्राम पंचायत रंगोली
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	रंगोली
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	5.963 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 74/1, 99, 98, 58, 59/1, 360, 361, 362/1, 305, 306, 304, 303/2, 303/1, 309, 302, 317/1, 250, 251, 253, 252, 247, 248, 124/1, 123/1, 126/3, 110/3, 103, 105, 104, 106, 101, 127, 125 में से कुल रकवा 5.963 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत्।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 5.963 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 5.963 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 12-अ-82-20-21-भू-अर्जन-20-4308 मौजा पिपरिया करकट पट.ह.नं.-87 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता, निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3- सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया करकट 4- सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया करकट
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	पिपरिया करकट
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.082 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 में से कुल रकवा 2.082 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत्।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 2.082 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.082 है.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 28-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-2621 मौजा मुहासा पट.ह.नं.-05 तहसील बीना

सागर, दिनांक 19 मार्च 2021

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता(निर्माण II) उत्तरत मध्य रेलवे झांसी
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	झांसी से बीना तीसरी लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रबीना 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीना 3- पटवारी हल्का नंबर-05 मुहासा 5- सरपंच ग्राम पंचायत मुहासा वि.ख.बीना 6- सचिव ग्राम पंचायत मुहासा वि.ख.बीना
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	बीना
(ग)	ग्राम/नगर	मुहासा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.405 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 160, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166 रकवा क्रमशः 0.790, 0.300, 0.160, 0.100, 0.680, 0.650, 0.880 हे. में से रकवा 0.195, 0.070, 0.032, 0.030, 0.059, 0.016, 0.003 हे. कुल रकवा 1.910 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	झांसी से बीना तीसरी लाईन परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	0.405 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन जानने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 25-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-2577 मौजा बेलई पट.ह.नं.-36 तहसील बीना

सागर, दिनांक 18 मार्च 2021

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) उत्तर मध्य रेल झांसी के प्रस्ताव अनुसार द्वारा झांसी बीना तीसरी लाईन निर्माण हेतु हेतु समुचित सरकार मौजा बेलई पटवारी हल्का नंबर-36 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 33, 34, 35, 36, 37 रकवा क्रमशः 0.020, 0.140, 0.070, 0.030, 0.050 हे. में से रकवा क्रमशः 0.020, 0.064, 0.026, 0.012, 0.050 हे. कुल रकवा 0.170 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. प्र.क्र.-6-अ-82-20-21-4827

बैतूल, दिनांक 5 मई 2020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	शाहपुर	सोहागपुरढाना	1.425	उपमुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	नंदकिशोर वल्द राददु जाति कुडमी, सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार वल्द रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिंकी, रिंकी पिता रामेश्वर जाति कुडमी भूमिस्वामी सा.देह	190	0.028	0.008
		189/1	0.056	0.056
2	नंदकिशोर वल्द राददु जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी	189/2	0.057	0.057
		188	0.041	0.041
		187/3	0.111	0.063

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन कोई भी व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. प्र.क्र.-001-अ-82-21-22-5401

बैतूल, दिनांक 8 जून 2021

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	बोरीकास (डोलियामउ)	शासकीय भूमि पर स्थित पट्टे धारको के 36 मकानो का अर्जन	कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग क्रमांक-02 बैतूल	मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से

अनुसूची - 2

(मकान धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित व्यक्ति का नाम	भूमि खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5
1	मोहरी व. सकलू	24	1	101.50
		24	1	31.75
2	भूते जौ. जौहरी	24	1	88.20
		24	1	31.75

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. प्र.क्र.-001-अ-82-21-22-5480

बैतूल, दिनांक 11 जून 2021

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	भैंसदेही	मेंढा (खापा)	आबादी भूमि पर स्थित 101 मकानों का अर्जन	कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग क्रमांक-02 बैतूल	मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से

अनुसूची - 2 (मकान धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित व्यक्ति का नाम	आबादी भूमि खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5
1	ओमकार व. बालाराम	68	1	60.16
2	दिनेश व. सुखराम	68	1	39.48
3	आशाराम व. सुखलाल	68	1	106.22
4	बिसराम व. सहू	68	1	180.38
		68	1	144.00

5	मंगरया व. सहू	68	1	141.38
6	मिश्रीलाल व. कुंजीलाल	68	1	99.00
7	दौलत व. कुंजीलाल	68	1	99.00
8	देवराव व. भागूलाल	68	1	25.08
9	हिरू जौ. रघुनाथ	68	1	127.40
10	कैलाश व. रघुनाथ	68	1	35.70
11	सहादेव व. रघुनाथ	68	1	6.75
		68	1	18.02
		68	1	44.80
12	महादेव व. रघुनाथ	68	1	41.54
		68	1	18.04
13	मीरा जौ. रघुनाथ	68	1	61.32
14	सुखराम व. कल्लू	68	1	40.32
		68	1	2.24
15	सीताराम व. कल्लू	68	1	40.32
16	दयाराम व. कल्लू	68	1	58.24
		68	1	12.50
17	सुखनंदन व. बलीराम	68	1	59.28
18	शंकर व. साधु	68	1	85.33
		68	1	19.20
19	मंकर व. साधु	68	1	85.33
		68	1	19.20
20	सीताराम व. सखाराम	68	1	128.70
21	रामलाल व. सखाराम	68	1	101.70
22	दुगरया व. सखाराम	68	1	72.15
		68	1	12.00
23	झांगरया व. सुखराम	68	1	101.92
		68	1	16.92
24	सोमजी व. सखाराम	68	1	138.00
25	हेमराज व. झांगरू	68	1	46.73
26	शिवचरण व. झांगरू	68	1	46.73
27	चैतराम व. झांगरू	68	1	64.00
28	बुकला व. मंगलया	68	1	42.09
29	सुखलाल व. मंगलया	68	1	45.36
		68	1	13.80
30	भीमा व. भोलू	68	1	37.38
31	बिसन व. मंगल	68	1	88.00
		68	1	77.00
32	किसन व. मंगल	68	1	84.11
		68	1	37.80

33	लालकिसन व. मंगल	68	1	56.98
		68	1	20.79
34	सुखराम व. फाटू	68	1	95.95
35	तिमाजी व. बालाराम	68	1	32.45
		68	1	47.30
36	रामाजी व. बालाराम	68	1	42.75
		68	1	35.02
37	बापूराव व. भूता	68	1	61.20
38	रामसु व. तुकाराम	68	1	84.75
		68	1	22.00
		68	1	26.95
39	बाबूराव व. भूता	68	1	37.73
40	भूता व. तुकाराम	68	1	60.83
41	भीलू व. खोगू	68	1	52.29
		68	1	72.00
42	सुखराम व. भालू	68	1	59.50
43	सीताराम व. भूता	68	1	176.00
		68	1	18.00
44	भैयालाल व. भूता	68	1	176.00
45	सोमा व. चुन्नी	68	1	51.15
46	गोमा व. चुन्नी	68	1	51.15
		68	1	73.44
47	इमलाबाई जौ. फूलचंद	68	1	57.75
		68	1	27.00
48	नाथूराम व. भीका	59/2	1	152.00
		59/2	1	20.25
49	रामराव व. सुखचंद	59/2	1	24.64
50	भूरा व. केजा	59/2	1	76.50
51	केजा व. मलकिया	59/2	1	58.50
52	भैया व. मौजी	59/2	1	96.00
53	शिवरती जौ. बंशीलाल	59/2	1	60.00
		59/2	1	36.00
54	सुकलु व. शिवलाल	59/2	1	60.38
		59/2	1	34.00
55	रमेश व. सुकलु	59/2	1	60.38
56	पतिराम व. गोमा	59/2	1	105.00
57	झांगरू व. सखाराम	59/2	1	91.00
58	बिहारी व. मंगल	59/2	1	71.50
59	नंदराम व. काल्या	59/2	1	73.60

60	नाथूराम व. गोमा	59/2	1	132.00
		59/2	1	48.00
61	भामो व. भालू	59/2	1	116.00
62	लक्ष्मण व. सुखराम	59/2	1	66.00
63	शोभाराम व. सुखलाल	59/2	1	42.70
		59/2	1	22.40
64	कमलाबाई जौ. पतिराम	59/2	1	123.20
		59/2	1	7.50
		59/2	1	13.00
65	मुन्ना व. मंगल	59/2	1	41.40
66	मंगल व. काडमा	59/2	1	105.00
		59/2	1	6.90
		59/2	1	37.50
67	गोमा व. भूता	59/2	1	63.00
68	झंगराय जौ. मंगल	59/2	1	242.00
69	मुन्ना व. भैया	59/2	1	82.50
70	सुरेश व. भवीचंद	59/2	1	12.00
योग :-		2	101	---

1- चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 70 परिवारों का विस्थापन हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित किया जा चुका है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. प्र.क्र.-002-अ-82-21-22-5484

बैतूल, दिनांक 11,12 जून 2021

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	भैंसदेही	खापा	आबादी भूमि पर स्थित 129 मकानों का अर्जन	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 बैतूल	मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से

अनुसूची - 2

(मकान धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित व्यक्ति का नाम	आबादी भूमि खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5
1	रामू व. सेवाराम	69	1	88.00

2	राजू व. नापा	69	1	60.00
3	नापा व. सेवाराम	69	1	45.60
4	सुकरू व. मनी	69	1	71.02
5	ढिमरू व. जोन्दू	69	1	90.20
6	सहू व. सरजू	69	1	83.60
7	हिरासिंग व. लिंबा	69	1	52.53
8	बिरासिंग व. लिंबा	69	1	52.53
9	निलेश व. भहू	69	1	38.08
10	लक्ष्मण व. चैता	69	1	41.08
11	जगदीश व. चैता	69	1	30.78
12	अनिल व. सादू	68	1	30.24
13	काल्या व. रामू	68	1	14.08
14	भिलू व. रामू	68	1	50.70
15	शिवराम व. रामू	68	1	49.60
16	मनीष व. झिपर्या	68	1	45.43
17	श्रवण व. खुड्डा	68	1	40.67
18	खुड्डा व. फाटू	68	1	91.14
19	संजू व. कैजा	68	1	43.86
20	खज्जू व. कैजा	68	1	43.86
21	गज्जू व. कैजा	68	1	34.20
22	मंगराय बे. गेन्दा	68	1	31.20
		68	1	61.77
23	भहू व. सरजू	68	1	24.00
24	सहादेव व. सरजू	68	1	24.00
25	सरजू व. जोन्दू	68	1	28.00
26	लिम्बा व. जोन्दू	68	1	69.96
27	कुन्ना व. फुन्दाजी	68	1	80.91
		68	1	20.00
28	रामजी व. चंदो	68	1	52.00
		68	1	25.00
29	रामा व. चंदो	68	1	56.68
		68	1	10.00
30	किशनलाल व. टोरे	68	1	74.04
31	कमलेश व. टोर	68	1	40.42
32	झोरे व. चुन्नी	68	1	36.75
33	दादूराम व. झोरे	68	1	55.00
34	कैलो बे. सादू	68	1	49.92
35	खोड्डे व. झिंगरिया	68	1	64.89
36	काशीराम व. खोड्डे	68	1	21.93

37	चैतराम व. खोड्डे	68	1	22.05
38	मंगर्या व. शंकर	68	1	40.80
		68	1	17.60
39	चिडडा व भाज्या	68	1	49.47
40	बुद्धु व. शंकर	68	1	49.44
		68	1	22.50
41	रतिराम व. जिर्जा	68	1	51.24
		68	1	18.00
42	गुल्लु व. नापू	68	1	32.40
43	फूलचंद व. चिरोंजी	68	1	56.16
44	लालचंद व. चिरोंजी	68	1	58.20
		68	1	16.00
45	बिरजलाल व. पती	68	1	58.20
		68	1	12.00
46	गंगाजी व. माडू	68	1	73.80
47	ढिमरा व. बोका	68	1	103.49
48	तेजी व. मंगलू	68	1	83.25
49	कुशिया व. भदो	68	1	121.98
50	रामलाल व. भदो	68	1	92.13
		68	1	24.75
51	ओमकार व. सुकलाल	68	1	65.92
		68	1	28.00
52	सुन्दरलाल व. दयालाल	68	1	56.98
		68	1	29.60
53	गुलाबराव व. गोलमा	68	1	53.68
		68	1	15.00
54	सोमजी व. गोलमा	68	1	53.68
		68	1	12.00
55	गोलमा व. कालू	68	1	35.20
56	लोभा व. गोलमा	68	1	35.20
57	चाचू व. मंगल	68	1	33.84
		68	1	21.60
58	केजा व. बाबूलाल	68	1	69.70
59	सुखलाल व. दोरा	68	1	40.40
60	खेमराज व. सुखलाल	68	1	40.40
61	टाटू व. गुल्लु	68	1	23.97
62	रामसू व. मोंग्या	68	1	46.35
63	सोनाय बेवा मोंग्या	68	1	18.33
64	मंगराय बेवा भैया	68	1	41.60

65	पिकोली बेवा भंगी	68	1	44.00
66	रेवाराम व. मंगल	68	1	44.00
67	शियाराम व. मंगल	68	1	75.60
68	तुलसीराम व. कोड्डे	68	1	64.68
69	चैता व. भंगी	68	1	77.00
70	मल्लू व. बाबूराव	68	1	91.52
71	पिलाजी व. मल्लू	68	1	34.20
		68	1	65.70
72	भोपत व. मल्लू	68	1	35.84
73	फूलचंद व. भाकू	68	1	49.29
		68	1	21.20
74	रामसिंग व. टेपा	68	1	23.60
75	टेपा व. भाकू	68	1	71.28
76	चैती जौ. बाकू	68	1	38.25
77	टाटू व. भाकू	68	1	38.25
		68	1	8.00
78	लिखीराम व. भिलू	68	1	32.13
79	नानू व. भिलू	68	1	32.13
80	मुकुन्दया व. झिपरिया	68	1	38.40
81	झिपरिया व. भाकू	68	1	60.00
82	मुन्नी व. शिवराम	68	1	66.12
83	खोया व. भालोड़	68	1	120.75
		68	1	40.00
84	भालोड़ व. मंगल	68	1	39.65
		68	1	36.00
85	टोले व. भालोड़	68	1	39.65
86	मुन्ना व. भालोड़	68	1	39.65
87	हरिश्चन्द्र व. भालोड़	68	1	39.65
88	राजेश व. साडू	68	1	45.00
89	लालू व. भालोड़	68	1	51.30
90	सुकनंदन व. बबलू	68	1	56.58
91	मुन्ना व. बबू	68	1	58.30
92	नजरसा व. भैया	68	1	43.50
93	मल्लू व. भैया	69	1	43.50
94	रंजू व. भैया	69	1	43.50
95	टेमा व. भूता	69	1	39.59
96	मुन्ना व. भूता	69	1	40.91
97	बालू व. भूता	69	1	40.91
		69	1	24.00

98	जोगी व. बालू	69	1	74.48
99	रामू व. भूता	69	1	97.37
100	झड़ी व. मंगल	69	1	45.59
		69	1	10.80
101	श्यामलाल व. सोमा	69	1	98.88
		69	1	10.80
102	कुईया व. भदो	69	1	100.88
103	कमला जौ. गनाजी	69	1	19.24
104	सुनील व. मुन्ना	69	1	43.50
		69	1	26.10
105	शिकारी व. टेमा	69	1	43.12
106	गोकुल व. सादू	69	1	121.90
योग		02	129	---

- 1- चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 106 परिवारों का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित किया जा चुका है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 482-भू-अर्जन-2021 नस्ती क्र.-33-2020-एल.ए.

खण्डवा, दिनांक 8 मार्च 2020

[आपसी सहमति से भूमि कय नीति]

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक पयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए, दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की अ" आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/खंडवा जिले में हरसूद, चारखेडा, बीड मूंदी से सिंगाजी समाधी पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम शिवरिया की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इकसे भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11(1)के अंतगत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

—: आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण :-

जिला-खंडवा, तहसील पुनासा , प.ह.न.- 64, ग्राम शिवरिया, रा.नि. मंडल मूंदी

प्रभावित रकबा :- 0.540हेक्टेयर

कं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	ख.न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जीवन पिता बलीराम	423/3	0.07	0.02	0.02	0	
2	गोपाल पिता बलीराम	423/2	0.07	0.01	0.01	0	
3	बलीराम पिता गणपत , बतासीबाई पुत्री गणपत	423/1	0.08	0.01	0.01	0	
4	विमलबाई बेवा प्रिमदास , महेन्द्रसिंह,बलवीरसिंह पिता पितमदास, गुजमणीबाई, मजीतबाई, बामीबाई, सुनिताबाई पुत्री प्रितमदास	424	0.10	0.01	0.01	0	
5	सूरज पिता मिश्रीलाल	418/2	4.66	0.04	0.04	0	
6	चिंतामण पिता ईश्वरचंद जैन	439/2	0.47	0.04	0.00	0.04	
		438	0.49	0.02	0.00	0.02	

कं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	ख.न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
7	सुशीलाबाई पति बुखारदास	412	0.44	0.05	0.05	0	
8	सुरेन्द्र, नरेन्द्र, देवेन्द्र, शैलेन्द्र, सुनिल, धमेन्द्र, गजेन्द्र, पिता फकीरचंद, राजकुमारी, मंजु, रंजना, ज्योति पुत्री फकीरचंद, कंचन, अंतर विधवा फकीरचंद, बनवारीलाल, राजेन्द्र पिता भीकारीलाल, रामेन्द्रलाल, महेन्द्र, विरेन्द्र, उपेन्द्र, पिता चम्पालाल, किरणबाई, भारतीबाई, पुत्री चम्पालाल, कौशल्याबाई, विधवा चम्पालाल, कौशल्याबाई विधवा अमृतलाल, विजय, शिव, शरद पिता अमृतलाल	411	0.35	0.05	0.05	0	
9	देवेन्द्रकुमार पिता फकीरचंद	400	0.40	0.05	0.05	0	
10	श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, व्यवस्थापक, चम्पालाल पिता मोजीलाल, फकीरचंद पिता नंदलाल, भीकारीलाल पिता मुरलीधर	405	1.23	0.20	0.20	0	
11	हरिराम पिता अमराजी	85/3	0.40	0.01	0.01	0	
		85/5	0.41	0.01	0.01	0	
12	कैलाश पिता अमराजी	85/13	0.40	0.01	0.01	0	
		85/14	0.40	0.01	0.01	0	
	योग-		9.97	0.54	0.48	0.06	

क्र. 484-भू-अर्जन-2021 नस्ती क्र. 33-2020-एलए

[आपसी सहमति से भूमि कय नीति]

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक पयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए, दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की अ" आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/खंडवा जिले में हरसूद, चारखेडा, बीड मूंदी से सिंगाजी समाधी पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम छाल्पीखुद्र की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इकसे भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11(1)के अंतगत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

—: आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण :-

जिला-खंडवा, तहसील पुनासा, प.ह.न.- 80, ग्राम छाल्पीखुद्र, रा.नि. मंडल मूंदी

प्रभावित रकबा :- 0.050 हेक्टेयर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	ख.न.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनारसिंह बुट्टु, नंदू, रामदास, रमेश, सायबा, हरचंद रामकिशन, आत्माराम, प्रेमराज पिता कानसिंह, लीलाबाई विमलाबाई पुत्री कानसिंह, मैनाबाई विधवा कानसिंह	141/1	0.10	0.02	0	0.02	
2	सवाई पिता रसाज	143	0.32	0.03	0.03	0	
	योग-		0.42	0.05	0.03	0.02	

अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं भू-अर्जन अधिकारी

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-20-21-साकरा-5792

मुरैना, दिनांक 10 जून 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलाँ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम सांकरा प0ह0क0- 56 रा0नि0 वृत्-04 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 8.186 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सांकरा प0ह0क0-56 रा0नि0 वृत्-04 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	सांकरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	8.186 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	364	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम, प्रबंधक कलेक्टर महो मण्डल मुरैना पता नि0 ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 2.28
2	365	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.205	भगवतीप्रसाद प्रकाशचन्द्र पुत्र रामनाथ स.भाग जाति नाई पता वार्ड नं. 3 जौरा मुरैना (म.प्र.) सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी।
3	366/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.328	बाबूलाल दत्तकपुत्र मोहनसिंह जाति ब्राह्मण पता नि0 जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 5.26
4	366/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.255	आशाराम पुत्र भौरूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम बुढहेरा हाल निवासी जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 5.26
5	368	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.303	रामजीलाल पुत्र चूरामनी जाति त्यागी पता नि0 ग्राम मोहना भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.00
6	369/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.140	रामजीलाल पुत्र चूरामनी त्यागी ब्राह्मण निवासी ग्राम मोहना भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.32

7	369/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.355	रामगोपाल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.32
8	370	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.219	रामजीलाल पुत्र चूरामनी जाति त्यागी पता नि० ग्राम मोहना हाल नि० जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.31
9	371	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.523	नीलम पत्नी मुकेशकुमार भावना पत्नी मनोजकुमार समान भाग 1/2 जाति वैश्य नि० जौरा लोकेन्द्र सिंह पुत्र दर्शनलाल भाग 1/2 जाति कोली पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.05
10	373/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.293	बाबूलाल दत्तकपुत्र मोहनसिंह जाति ब्राह्मण पता निवासी जौरा भूमिस्वामी।
11	373/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.292	आशाराम पुत्र भौरूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम बुढहेरा हाल निवासी जौरा भूमिस्वामी।
12	374	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.042	माफी अतिय सरकार मंदीर श्री देवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम, प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 0.48
13	375	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.094	सुरेशचन्द्र अशोककुमार पुत्रान देवचन्द स० भाग जाति वैश्य पता निवासी जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.73
14	377	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.627	मांगीलाल, संजू पुत्रान सियाराम, शान्ती, महादेवी, विमला, ऊषा, मीना पुत्रियाँ सियाराम सभी जाति सविता नि. जौरा 61957/62700 भाग भूमिस्वामी मोहरपाल पुत्र श्यामलाल जाति गुजर ठाकुर पता ग्वालियर म.प्र. 743/62700 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.87
15	380 381- (0.063)	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.314	संजयकुमार पुत्र हरिशचन्द्र नि. जौरा 3019/31400 भाग भूमिस्वामी, सुनील पुत्र हरीशचन्द्र नि. जौरा 1313/31400 भाग भूमिस्वामी, अनिलकुमार पुत्र हरिशचन्द्र नि. जौरा 1313/31400 भाग भूमिस्वामी, दीपक कुमार पुत्र हरिशचन्द्र नि. जौरा 1311/31400 भाग भूमिस्वामी, हरिशचन्द्र सुरेशचन्द्र रामनिवास पुत्र देवचन्द्र अशोककुमार पुत्र देवचन्द्र गीतादेवी पुत्री देवचन्द्र स० भाग नि. जौरा 15700/31400 भाग भूमिस्वामी, जयकुमार पुत्र हरीशचन्द्र स भाग जाति वैश्य नि० शास्त्री मार्ग कैलारस 2977/31400 भाग भूमिस्वामी, दिनेशचन्द्र पुत्र मंगलीप्रसाद उर्फ हरीशंकर गुप्ता पता जौरा 931/31400 भाग भूमिस्वामी, वासुदेव पुत्र हरप्रसाद जाति वैश्य नि० जवाहर मार्ग कैलारस 1116/31400 भाग भूमिस्वामी, पूरनचन्द्र पुत्र भगवानलाल जाति वैश्य नि० गांधी मार्ग कैलारस 1116/31400 भाग भूमिस्वामी, पवन पुत्र सुरेशचन्द्र संजय वंसल पुत्र सन्तोषीलाल स भाग जाति वैश्य नि० कैलारस 1395/31400 भाग भूमिस्वामी, हरिओम पुत्र मोहनलाल मंगल जाति वैश्य नि. जौरा 1209/314000 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.44
16	382	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	माफी अतिय. सरकार मंदीर श्री देवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम, प्रबंधक

					कलेक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 0.08
17	383	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	माफी अतिय सरकार मंदीर श्री देवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलेक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 0.73
18	384	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	भावना पत्नी मनोजकुमार नीलम पत्नी मुकेशकुमार समान भाग 230 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा मुन्नी पत्नी अशोकसिंह भाग 2345 वर्गफीट जाति कुशवाह गुडडी पत्नी मनीराम भाग 1200 वर्गफीट जाति प्रजापति नि० जौरा रामश्री पत्नी सुरेश भाग 1200 वर्गफीट द्रोपती वेवा भीखाराम भाग 1200 वर्गफीट पीतम रामनरेश पुत्रान बाबूलाल स० भाग 1800 वर्गफीट गब्बर पुत्र रामचरन भाग 1200 वर्गफीट भूमिस्वामी हलुकी पत्नी श्यामा भाग 1200 वर्गफीट रेनु पत्नी रामहेत भाग 1200 वर्गफीट सभी जाति कुम्हार भरतसिंह पुत्र जीवनलाल भाग 1200 वर्गफीट जाति पटवा रामबेटी पत्नी सूरजवन गोस्वामी भाग 2250 वर्गफीट नि० जौरा रामवती पत्नी भोगीराम 1200 वर्गफीट जाति कुम्हार सुनीता पत्नी गिर्राज सिंह भाग 1700 वर्गफीट जाति प्रजापती नि० वार्ड नं० 2 एम.एस.रोड जौरा भूमिस्वामी रामहेत केषव वदवारी पुत्रान खलके राजाबेटी सुनीता पुत्रियांन खलके स भाग 1200 वर्गफीट जाति प्रजापती नि. कैमरा भूमिस्वामी भू-रा०षा० 366
19	385	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	राजकुमार पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नि० जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.10
20	386	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	राजकुमार पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नि० जौरा भूमिस्वामी भू०रा०षा० 369
21	388	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.105	श्रीपति लोकमनि पुत्रान बलवन्त स. भाग 2/4 कोसा बेवा बलवन्त भाग 1/4 राजकुमार संतकुमार नीतराज पुत्रान नवलसिंह, रामसनेही गीता विद्या पुत्रीयान नवलसिंह मु. कलावती वेवा नवलसिंह स. भाग 1/4 जाति रावत पता निवासी ग्राम जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 6.67
22	438	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.038	मनोजकुमार पुत्र गोरीशंकर भाग 7625 वर्गफीट जाति वैश्य राजकिशोर पुत्र छिददीलाल गौड भाग 2000 वर्गफीट प्रेमचन्द पुत्र उंकारलाल भाग 287 वर्गफीट लखनलाल पुत्र जगदीष भाग 700 वर्गफीट शशीदेवी पत्नी लोकेन्द्र प्रीतिदेवी पत्नी वीरेन्द्र स भाग 2110 वर्गफीट जाति ब्रा० संजूदेवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद विनोदकुमार पुत्र श्रीकृष्ण स भाग 990 वर्गफीट दीनदयाल पुत्र छोटेलाल भाग 713 वर्गफीट जाति वैश्य भूमिस्वामी वासुदेव पुत्र गंगाशरण जाति ब्रा० नि० जौरा मदनलाल पुत्र रामशरण स भाग 2250 वर्गफीट जाति जाटव नि० दत्तपुरा मुरैना भरतलाल पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा भाग 150 वर्गफीट जाति ब्रा०

					राजेन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण भाग 675 वर्गफीट जाति ब्रा0 नि0 खुटियानीहार रामाऔतार अशोक पुत्रान सियाराम स भाग 1428 वर्गफीट मंजू पत्नी संजय भाग 2222 जाति वैश्य दर्शनलाल पुत्र रामचरनलाल भाग 700 वर्गफीट जाति सविता नि0 जौरा भूमि स्वामी मुकेश राजकिशोर पुत्रान छिददीलाल स भाग 700 वर्गफीट जाति गौड नि0 जौरा रामऔतार अशोककुमार पुत्रान सियाराम स भाग 600 वर्गफीट जाति ब्रा0 नि0 खुटियानीहार रामा पत्नी मुकेशकुमार भाग 1600 वर्गफीट जाति गौड नि0 जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00
23	439	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.045	कलावती वेवा प्रभूदयाल जगदीश सुनील प्रेमचन्द्र गोपालकृष्ण नवीनचन्द्र पुत्रान प्रभूदयाल समान भाग जाति वैश्य पता नि0 जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.00
24	440	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	जगदीशकुमार अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल स भाग पता मुरैना म.प्र. 4014/20900 भाग भूमिस्वामी गिर्राजकुमार पुत्र बाबूलाल पता मुरैना म.प्र. 6967/20900 भाग भूमिस्वामी सूबेदार पुत्र बद्रीप्रसाद रामलखन राममूर्ति पुत्रान सूबेदार स भाग पता मुरैना म.प्र. 2972/20900 भाग भूमिस्वामी महादेवी पत्नी रमाशंकर पता मुरैना म.प्र. 6947/20900 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.62
25	441	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.031	मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट भू.रा.शा. 410
26	442	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.143	मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट भू.रा.शा. 410
27	444 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.039	मुकेशकुमार पुत्र गौरीशंकर जाति वैश्य पता नि0 जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.54
	444 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि		मुकेशकुमार पुत्र गौरीशंकर जाति वैश्य पता नि0 जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 1612.00
28	445	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.188	हरीशचन्द्र भाग 0.066 है0 सुरेशचन्द्र भाग 0.094 है0 पुत्रान देवचन्द्र जाति वैश्य निवासी दर भाग 0.160 है0 नितिन गर्ग पुत्र चन्द्रप्रकाश गर्ग भाग 1000 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 जौरा, प्रीतेश गर्ग पुत्र चन्द्रप्रकाश गर्ग भाग 1000 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 जौरा, माया पत्नी चन्द्रप्रकाश गर्ग भाग 1000 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा दर भाग 0.028 है0 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.44
29	449	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.157	मनोजकुमार भाग 0.006 पुत्र गौरीशंकर मुकेशकुमार भाग 0.020 पुत्र गौरीशंकर अग्रवाल हरिओन भाग रकबा 0.036 पुत्र कन्हैयालाल वासुदेव रकबा 0.022 पुत्र कन्हैयालाल बंसल जाति वैश्य निवासी जौरा नत्थी केदार बाबूलाल पुत्रान ग्यासिया प्रजापति स भाग 0.073 जाति कुम्हार नि0 सांकरा भूमि स्वामी भू.रा.षा. बिलमुक्ता 1.82

30	450	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.073	मनोजकुमार हि0 0.020 मुकेशकुमार हि0 0.026 पुत्रान गोरीशंकर हरिओम हि0 0.050 वासुदेव हि0 0.010 पुत्रान कन्हैयालाल जाति वैश्य नि0 जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.85
31	451	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.021	मनोजकुमार मुकेशकुमार पुत्रान गोरीशंकर स0 भाग जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.24।
32	452	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.219	मनोजकुमार हि0 0.060 मुकेशकुमार हि0 0.079 पुत्रान गोरीशंकर हरिओम हि0 0.050 वासुदेव हि0 0.030 पुत्रान कन्हैयालाल जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.55
33	453	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.031	मनोजकुमार हि0 0.009 मुकेशकुमार हि0 0.011 पुत्रान गोरीशंकर हरिओम हि0 0.007 वासुदेव हि0 0.004 पुत्रान कन्हैयालाल जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.36
34	454	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.219	किशनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि0 जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.89
35	455	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.443	फेरन मावसिया पुत्रगण ल्होरे जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 12.06
36	456	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.647	मनोजकुमार भाग 0.166 है0 मुकेशकुमार भाग 0.238 है0 पुत्रान गोरीशंकर अग्रवाल, हरिओम भाग 0.141 है0, वासुदेव भाग 0.045 है0, पुत्रान कन्हैयालाल बंसल जाति वैश्य नि0 जौरा दर भाग 0.590 है0 नरेन्द्र नरोत्तम पुत्रान विजयसिंह स भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि0 बुढावली भोगीराम पुत्र परिमाल भरत जगदीश पुत्रान भोगीराम स भाग 1350 वर्गफीट जाति कुम्हार नि0 सबलगढ मातादीन पुत्र चन्टोली भाग 1800 वर्गफीट जाति जाटव पता नि0 ग्राम कोटसिथरा भूमि स्वामी गजराजसिंह पुत्र भरोशा भाग 1350 वर्गफीट जाति जाटव नि0 सुखपुरा मुकेश पुत्र भरोशा भाग 1350 वर्गफीट जाति जाटव नि0 सुखपुरा सुरेश पुत्र गोपालदास भाग 3701 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 जौरा वन्टी पुत्र रघुनन्दन भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि0 निवी मुरैना भीखम पुत्र मातादीन प्रजापति भाग 900 वर्गफीट नि0 खरिका लज्जाराम पुत्र दल्लाराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि0 एम0एस0रोड जौरा रामवीर पुत्र भगरीराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव पता नि0 ग्राम राजगढ भूमि स्वामी, हलुकीदेवी पत्नी छविराम भाग 956 वर्गफीट जाति जाटव नि0 अलापुर, सलीम खां पुत्र रोशन खां भाग 900 वर्गफीट जाति मुसलमान नि0 जौरा, नीलम पत्नी मुकेश अग्रवाल भाग 1463 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा मनोजकुमार पुत्र दोजीराम भाग 900 वर्गफीट जाति धोवी नि0 भटपुरा, अमरसिंह पुत्र किशोरीलाल भाग रकवा 1350 वर्गफीट जाति जाटव नि0 ग्राम घाडौर लखनसिंह

					पुत्र बद्रीप्रसाद भाग रकबा 900 वर्गफीट जाति जाटव पता नि0 ग्राम अलापुर भूमि स्वामी मुन्शीलाल पुत्र अजयचन्द्र भाग रकबा 900 वर्गफीट जाति जाटव नि0 ग्राम जलालपुर नबलसिंह पुत्र भोगीराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि0 ग्राम जलालपुर सुधरसिंह पुत्र तुलाराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि0 विचोला का पुरा दर भाग 0.215 भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.35
37	457	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.047	मनोजकुमार भाग रकबा 0.023 मुकेशकुमार भाग रकबा 0.030 पुत्रान गोरीशंकर अग्रवाल नि0 जौरा भावना पत्नी मनोज अग्रवाल भाग 0.031 जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.97
38	458	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.132	जाकिर हुसैन पुत्र हबीब भाग 913 वर्गफीट जाति मुसलमान नि0 अगरोता धर्मवीर देवेन्द्र पुत्रान बाबूलाल स भाग 1800 वर्गफीट जाति जाटव नि0 खड़ियाहार, अशोककुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद बंसल भाग 7200 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 वार्ड नं0 6 जौरा विमला पत्नी नत्थीलाल भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि0 सिद्धपुरा बुढहेरा वीरेन्द्रसिंह पुत्र सूखाराम भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि0 खिराकाई रन्छोरपुरा भूमिस्वामी काषीराम पुत्र पिंचा भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि0 खिराकाई रन्छोरपुरा राजकुमारी पत्नी अनिलकुमार भाग 1125 वर्गफीट रामब्रज पुत्र हलुकेराम भाग 675 वर्गफीट जाति कुम्हार नि0 नाहरदोकी वीरवल पुत्र दोजीराम भाग 900 वर्गफीट जाति वघेल नि0 महादेवपुरा हाल नि0 वार्ड नं0 3 शिवनी नाका के पास संजयनगर ग्वाल होली होशंगबाद सलीम खां पुत्र बहादुर खां भाग 900 वर्गफीट जाति मुसलमान नि0 कुल्होली भूमिस्वामी दिलीपसिंह पुत्र परिमालसिंह भाग 1015 वर्गफीट जाति कुशवाह नि0 कुम्हेरी बसन्ती पत्नी रामदीन भाग 2025 वर्गफीट जाति जाटव नि0 दीपैरा कैलारस रामदुलारी पत्नी मातादीन भाग 1125 वर्गफीट जाति जाटव नि0 ब्रम्हबाजाना तह0 कैलारस विसराम पुत्र मावसिया भाग 900 वर्गफीट जा0 जाटव नि0 खदरन का पुरा सुल्तान पुत्र लोडूराम भाग 900 वर्गफीट जा0 जाटव नि0 डोगरपुर दर भाग 0.206 है0 भूमिस्वामी मनोज पुत्र गोरीशंकर अग्रवाल भाग 2/3 वासुदेव पुत्र कन्हैयालाल बंसल भाग 1/3 जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा दरभाग 0.076 है0 भूमिस्वामी भू0रा0 3.31
39	461	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.322	नत्थी केदार बाबूलाल पुत्रान ग्यासिया स0 भाग 33/38 रकबा 1 बिघा 13 विस्वा जाति कुम्हार मनोजकुमार मुकेशकुमार पुत्रान गोरीशंकर स0 भाग 5/38 रकबा 5 विस्वा जाति वैश्य निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.12।

40	463	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.075	श्रीमती बैजन्ती पत्नी रतनलाल रकबा 0.818 है0 जाति त्यागी निवासी कस्वा जौरा रमेशचन्द्र पुत्र हरीशंकर भाग 4160 वर्गफीट यानी 0.039 है0 जाति त्यागी ब्राम्हण नि0 खोतीपुरा बसईकला खेरागढ आगरा हाल नि0 कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.77
41	464	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.017	चतुर्भुज राजेश पुत्रान महाराजसिंह स भाग जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.35
42	465	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.027	चतुर्भुज राजेश पुत्रान महाराजसिंह स भाग जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 10.00।
43	466	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.049	चतुर्भुज राजेश पुत्रान महाराजसिंह स भाग जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-रा.षा. 165।
44	467	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.044	श्रीनिवास पुत्र हरभजन भाग 9137.5 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 मुरैना मदनलाल पुत्र रामशरण भाग 5625 वर्गफीट जाति जाटव नि0 दत्तपुरा मुरैना कमलेश पुत्र रामेश्वर भाग 13436.5 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि जौरा जाहरसिंह पुत्र पुन्नाराम भाग 2000 वर्गफीट जाति जाटव नि0 हिम्मतगढ मौजा उरहेरा नरेश पुत्र दाताराम भाग 1001 वर्गफीट जाति नाई नि0 दीपैरा भूमि स्वामी चेतना पत्नी शिवकुमार रंजना पत्नी कमलेश स0 भाग 2000 वर्गफीट जाति गोस्वामी नि0 जौरा वीरेश पुत्र हरीगिरि भाग 1000 वर्गफीट जाति गुसाई नि0 मोतीझील ग्वालियर कान्हा छोटू पुत्रान महेश नावा सर मां रामपति पत्नी महेश स भाग 675 वर्गफीट जाति गौड नि0 भोपतपुर भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.50
45	953/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.029	प्रीतमसिंह पुत्र सावलेसिंह जाति गुजर ठा0 पता नि0 धोरेरा हाल जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69।
46	953/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.051	अजमेरसिंह पुत्र सावलेसिंह जाति गुजर ठा0 पता नि0 धोरेरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.20।
47	955	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.077	झब्बूलाल पुत्र हजारीलाल भाग 1/4 जाति ब्रा0 नि0 जौरा श्रीनिवास पुत्र हरिभजन भाग 11375 वर्गफीट जाति ब्रा0 नि0 महाराजपुर रोड मुरैना नत्था राम पुत्रान शिवनारायण स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति वधेले नि0 वधरोली दर भाग 1/4 जितेन्द्रसिंह पुत्र भुजवलसिंह भाग 1/4 जाति किरार नि0 ग्वालियर सुमन पत्नी राजेश गुप्ता भाग 1/4 जाति वैश्य नि0 मुरैना भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00
48	958	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.051	मनोजकुमार पुत्र गोरीशंकर जाति वैश्य पता नि0 जौरा 28/30 भाग भूमि स्वामी मुरारीलाल, दिनेशचन्द, सुभाशचन्द, अनिलकुमार पुत्रगण शंकरलाल जाति वैश्य पता नि0 जौरा 2/30 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00
49	961	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.046	प्रभूदयाल पुत्र मावसिया भाग 964 वर्गफुट दीवान सिंह पुत्र जलाल सिंह भाग 924 वर्गफुट जसरथ

					सिंह पुत्र रामसिंह रकवा 0.04 वर्गफुट जाति गुर्जर नि० समेडी देवमान पुत्र भरतसिंह भाग 920 वर्गफुट दर भाग 1/8 अषोक कुमार इतवारीलाल रमेश पुत्रान भावसिया स० भाग 3/8 रकवा 7 सही 1/2 विस्वा दर भाग 1/2 जाति कोली नि० बुढहेरा भूमि स्वामी वेदप्रकाश पुत्र टीकाराम भाग 2/3 जाति वैष्ण राजकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद भाग 1/3 दर भाग 1/2 पता नि० जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.32
कुल 49 सर्वे नं० में अर्जित रकवा				8.186 है०	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषे :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पत्र.क्र. 45-1-भू-अर्जन-2019-20

जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लम भवन भोपाल के पत्र दिनांक 18/05/2018 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार राहपुरा विकासखण्ड के जिला डिंडोरी में स्थिति सारसडोली जलाराय के दूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम मेंहगंवा प.ह.न. 88 रा.नि.म. कुण्डम विकासखण्ड कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर के कृषकों के आपसी सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है

ग्राम का नाम	स.क.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा हे.मे	क्रय हतु प्रस्तावित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	रिमार्क
मेंहगंवा	1	संतोष सिंह पिता महा सिंह	44	0.40	0.12	सारसडोली जलाराय के दूब क्षेत्र से प्रभावित	
मेंहगंवा	2	सम्हर सिंह हिम्मत सिंह धीर सिंह पिता लम्पू सिंह अमरती बाई मीरा बाई पिता लम्पू सिंह	372	2.27	0.15	सारसडोली जलाराय के दूब क्षेत्र से प्रभावित	
मेंहगंवा	3	रघुनाथ सिंह उजियार सिंह राम सिंह पिता पचोला सिंह गनपत पिता हनुमत बेटा बाई वेवा जवाहर सिंह राजू सिंह पिता जवाहर सुमन बाई तुलसी बाई पिता जवाहर सिंह देवकी बाई पिता निरपत कीरती बाई पिता पचोला बै०	374/3	0.98	0.16	सारसडोली जलाराय के दूब क्षेत्र से प्रभावित	

मेंहगंवा	4	लखन सिंह पिता फूल सिंह	375/1	0.31	0.13	सारसडोली जलाशय के दूब क्षेत्र से प्रभावित
मेंहगंवा	5	आनंद सिंह पिता ना बा वल्द प्रेम सिंह बली आज्ञा सिंघई पता जबलपुर म०प्र०/सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामि	378	1.80	0.25	सारसडोली जलाशय के दूब क्षेत्र से प्रभावित
योग			5 खसरे	5.76	0.81	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व चस पर स्थित मान/नलकूप/वृक्ष आदि बावत दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 पन्द्रह दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश दिनांक को छोड़कर कार्यलयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावे /आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 11-अ-82-19-20-5251

बैतूल, दिनांक 1 जून 2021

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	बैतूल	मुचगोहान	2.553	चोरनी मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुलरकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मंगू बेवा झिंगू हिरदे, सिल्लू व. झिंगू सरस्वती, दूब्बा, प्रीति, पिता झिंगू मिंजू, नान्दूरामा, रामलाल व. सायबू जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	103/5 103/6	0.457 0.462	0.457 0.462
2	चिक्कू व. जिंदू, सा.देह भूमिस्वामी	102/18 102/8 102/11 102/3 102/13	0.648 0.081 0.081 0.374 0.024	0.040 0.081 0.081 0.277 0.024
3	सोनी बेवा गेंदसिंह, पारवती पुत्री गेंदसिंह, गेंदलाल, पवन, चिक्कू व. जिन्दू, झिंगू शंकर, मुन्नी, रवि व. नन्दा, मिडते बेवा नन्दा जाति गोंड सा. देह	102/9 102/4 102/14	0.389 0.263 0.065	0.348 0.263 0.032
4	सोनी पति गेन्दसिंह, पार्वती पुत्री गेन्दसिंह सा.देह भूमिस्वामी	102/12	0.226	0.100
5	रन्नू व. मदन, चुन्नीलाल, मुन्नी, मुन्नीलाल व. मदन, सुखवंती पुत्री मदन, जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	102/5 102/15	0.324 0.211	0.324 0.064
	योग:-		3.143	2.553

2-चूंकि मुचगोहान, चोरनी-मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशितकरने की आवश्यकता नहीं है।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

4-समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 24-अ-82-20-21-5252

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	बैतूल	चुरनी	0.781	चोरनी मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुलरकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	चिन्धु, लूट्टू हरिराम व. ढोण्डू, ढिमरे पुत्री ढोण्डू, फगनी, समीया व. जुगन, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	178	0.170	0.170
2	सोमती पुत्री टाहजन, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	179	0.247	0.065
3	कुन्दल व. फिस्तू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	173/1	0.809	0.226
4	तुलाराम व. भोन्दू जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	173/5	0.462	0.040
5	सुन्दरलाल, संती व. नजरसिंह, रमोता, मंगरू, अमरसिंह, बंसीलाल व. सरतलाल, जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	175/18	1.619	0.280
योग :-		-	3.307	0.781

2-चूँकि चुरनी चोरनी-मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशितकरने की आवश्यकता नहीं है।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

4-समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 25-अ-82-20-21-5253

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	बैतूल	नायक चारसी	2.099	चोरनी मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुलरकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	गंजन व. मल्ली, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	35/4	0.482	0.081
2	फगना, नोखेलाल, जग्गू, संजू, अर्जुन व. मगरसिंह, रंजना बेवा मगरसिंह, नरमदी, कलाशांता पिता मगरसिंह, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	35/3	0.964	0.121
3	चिंधू व. पुरन, जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	35/2	0.483	0.068
4	ढोंडी, जीमो, मुन्नी, गुनी पिता मोहना, भूता, रामलाल, सुखनंदरन व. गेंदलाल, गीता, रीता पिता गेंदलाल, जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	35/1	0.483	0.072
5	सुकडी जौ. रिंदा, मालिया बेवा सोमलाल, चिंधी जौ बालचंद, बिन्दू जौ बलीराम, बिदिया जौ रंगू, जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	32/1	3.332	0.081

6	सद्दू व. पाण्डू झीटो, गुना पिता पाण्डू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी	24	1.676	1.676
योग :-		-	7.420	2.099

2-चूंकि नायकचारसी, चोरनी-मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भीट व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशितकरने की आवश्यकता नहीं है ।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

4-समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 15 जनवरी 2021

क्र. 422-जि.भू.अ.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-केवलारी रा.नि.मं.-केवलारी	ग्राम-चौरापाठा ब.नं.-65 प.ह.नं.-38	0.75 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, जिला मंडला.	छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, मध्य रेल्वे जिला मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.				

सिवनी, दिनांक 18 जून 2021

ज्ञापन क्र. 3096-जि.भू.अ.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्ट.)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-घंसौर रा.नि.मं.-घंसौर	ग्राम-पिपरिया प.ह.नं.-36 ब.नं.-449	0.25	कार्यपालन यंत्रि, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर.	घोघरीमाल खमरिया मार्ग में हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर, जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो दर्ज किया जा सकता है।

क्र. 3108-जि.भू.अ.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-कुरई रा.नि.मं.-बादलपार	थांवरझोडी प.ह. नं.-21	0.76 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी.	थांवरझोडी जलाशय परियोजना के बांध क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

ज्ञापन क्र. 3107-जि.भू.अ.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ब.नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्ट.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-धनौरा रा.नि.मं.-धनौरा	ग्राम-कोंडरा प.ह.नं.-11 ब.नं.-95	0.10	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर.	घोषरी माल खमरिया मार्ग में हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला-सिवनी में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर, जिला जबलपुर में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, तो दर्ज किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फर्टिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 मई 2021

धारा 11-प्रारंभिक अधिसूचना

नस्ती क्र. -एल.ए.-2020-भू-अर्जन-प्र. क्र. 0014-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	मालीपुरा	0.47	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य आमाम परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 मई 2021

क्र. 29-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु भू-अर्जन हेतु ग्राम आमनपुर तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अन्तर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा (11) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल अर्जित रकबा (वर्ग मी.)	ख. न. रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
जबलपुर	आधारताल	आमनपुर	भाग-1 69, 52, 27 में से	2179.743 व. मी.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2, जबलपुर.	जबलपुर शहर में दमोहनाका से रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु.
			भाग-2 81, 83, 86, 87 में से.	68.521 व.मी.		
			कुल रकबा . .	2248.264 व.मी.		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 8 जून 2021

क्र. 03-भू-अर्जन-प्र.क्र. 03-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

कार्यपालन यंत्रि लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु भू-अर्जन हेतु ग्राम सुभाषनगर तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अन्तर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (वर्ग मी.) डा.य.पी/प्ला. क्र. रकबा	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
जबलपुर	आधारताल	सुभाषनगर	भाग (1) डाय शीट क्र. 153बी प्लॉट क्र. 625/1 में से 34.886 व. मी. 625/1 में से 139.259 व. मी. 625/2 में से 35.885 व. मी.	प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जबलपुर.	जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु.
			भाग (2) डाय शीट क्र. 301 प्लॉट क्र. 258 में से 1730.00 व. मी. 259 में से 282.00 व. मी. 260 में से 321.00 व. मी.		
			भाग (3) डाय. शीट क्र. 152 सी प्लॉट क्र. 435 में से 810.00 व. मी. 430/2ए में से 54.862 व. मी. 430/4 में से 51.674 व. मी. 430/3 में से 243.018 व. मी. 430 में से 235.911 व. मी. 430 में से 43.650 व. मी. 430 में से 51.480 व. मी. 431 में से 41.600 व. मी. 431 में से 73.053 व. मी. 431 में से 63.623 व. मी. 431 में से 20.307 व. मी. 431 में से 106.909 व. मी. 432 में से 35.313 व. मी. 432 में से 35.077 व. मी. 432 में से 32.248 व. मी. 432 में से 23.400 व. मी. 432 में से 10.528 व. मी. 432 में से 34.683 व. मी. 432 में से 27.988 व. मी. 433 में से 63.262 व. मी. 433 में से 26.426 व. मी. 433 में से 26.289 व. मी.		

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

डाय. शीट क्र.	
152ए प्लॉट क्र.	
292 में से	154.502 व. मी.
292 में से	69.511 व. मी.
डाय शीट क्र.	
152बी प्लॉट	
क्र. 305/1 में से	71.410 व. मी.
भाग (4)-डाय.शीट	
क्र. 71 प्लॉट	
क्र. 136/2 में से	2.850 व. मी.
136/3ए में से	24.122 व. मी.
140/4 में से	5.721 व. मी.
140/3 में से	4.00 व. मी.
141 में से	5.610 व. मी.
142/2 में से	17.568 व. मी.
142/4 में से	16.017 व. मी.
143/1 में से	15.150 व. मी.
143/3 में से	8.974 व. मी.
144/1 में से	33.810 व. मी.
144/1/2 में से	4.608 व. मी.
144/1 में से	26.250 व. मी.
144/1 में से	14.552 व. मी.
भाग (5)-डाय.शीट	
क्र. 71 प्लॉट	
क्र. 275 में से	53.290 व. मी.
274 में से	27.334 व. मी.
274 में से	16.887 व. मी.
273 में से	22.00 व. मी.
273, 272 में से	32.100 व. मी.
272 में से	26.00 व. मी.
271/1/2 में से	39.150 व. मी.
271/1/2 में से	7.830 व. मी.
271/2 में से	5.200 व. मी.
271/2 में से	4.080 व. मी.
271/2 में से	5.200 व. मी.
271/2 में से	4.080 व. मी.
271/2 में से	5.200 व. मी.
271/2 में से	4.080 व. मी.
271, 270 में से	14.375 व. मी.
270 में से	12.238 व. मी.
270 में से	18.013 व. मी.
270 में से	16.605 व. मी.
270 में से	7.695 व. मी.
269 में से	13.122 व. मी.
269 में से	13.122 व. मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			269 में से	20.628 व. मी.	
			269 में से	32.775 व. मी.	
			269/3 में से	14.353 व. मी.	
			269/3 में से	15.279 व. मी.	
			269/2ए में से	16.500 व. मी.	
			269/2ए में से	27.795 व. मी.	
			269 में से	8.588 व. मी.	
भाग (6)-डाय.					
शीट क्र. 19 प्लॉट					
			क्र. 395/3,4,5 में से	26.627 व. मी.	
			395/3,4,5 में से	104.386 व. मी.	
			395/3,4,5 में से	109.088 व. मी.	
			404/1ए में से	33.125 व.मी.	
			404/1ए में से	11.563 व. मी.	
			404/2/1ए/1 में से	87.200 व. मी.	
			404/4ए/1 में से	22.325 व. मी.	
			404/4ए/1 में से	12.250 व. मी.	
			404 में से	20.980 व. मी.	
			404 में से	13.840 व. मी.	
			404/4बी में से	37.100 व. मी.	
			404/4बी में से	17.320 व. मी.	
			404/4बी-1/4 सी, में से	424.500 व. मी.	
भाग (7)-डाय.शीट					
क्र. 71 प्लॉट					
			क्र. 268/1 में से	65.105 व. मी.	
			268/1 में से	330.304 व. मी.	
भाग (8)-डाय.शीट					
क्र. 71 प्लॉट					
			क्र. 145/1 में से	129.069 व. मी.	
			145/4 में से	45.705 व. मी.	
			145/2 में से	12.742 व. मी.	
डाय. शीट क्र. 72 प्लॉट					
			क्र. 160 में से	81.379 व. मी.	
			164/1 ए में से	29.925 व. मी.	
			164/3ई में से	32.678 व. मी.	
			164/2ए में से	36.260 व. मी.	
			164 में से	52.566 व. मी.	
			164 में से	15.372 व. मी.	
			164/1जे में से	16.268 व. मी.	
			164/1-I/1 में से	21.680 व. मी.	
			164 में से	12.177 व. मी.	
			164 में से	19.538 व. मी.	
			164 में से	50.109 व. मी.	
			164 में से	28.492 व. मी.	
			164 में से	20.217 व. मी.	
			164 में से	19.618 व. मी.	
			164 में से	25.392 व. मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			डाय. शीट क्र. 154ए प्लॉट		
			क्र. 527 में से	68.235 व. मी.	
			527 में से	50.381 व. मी.	
			527 में से	31.267 व. मी.	
			527 में से	27.709 व. मी.	
			527 में से	23.129 व. मी.	
			526 में से	9.694 व. मी.	
			524 में से	35.065 व. मी.	
			524 में से	18.577 व. मी.	
			524 में से	25.584 व. मी.	
			डाय. शीट क्र. 152 सी प्लॉट		
			क्र. 446 में से	85.247 व. मी.	
			440 में से	103.703 व. मी.	
			कुल रकबा	7297.811 व. मी.	

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे.

क्र. 04-भू-अर्जन-प्र.क्र. 02-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु भू-अर्जन हेतु ग्राम हिनौतिया तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अन्तर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा (12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अर्जित रकबा (वर्ग मी.)		
(1)	(2)	(3)	ख. न.	रकबा	(5)	(6)
जबलपुर	आधारताल	हिनौतिया	भाग (1) खसरा नं.		प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जबलपुर.	जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक
			301, 302 में से	349.00 व. मी.		
			300 में से	288.00 व. मी.		
			287/1-2 में से	306.00 व. मी.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		286 में से	306.00 व. मी.		पलाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु.
		भाग(2)-खसरा			
		नं. 76 में से	08.895 व. मी.		
		76/7 में से	108.982 व. मी.		
		76 में से	42.522 व. मी.		
		76/1 में से	35.963 व. मी.		
		76/1 में से	18.935 व. मी.		
		76/1 में से	8.848 व. मी.		
		76/1 में से	48.770 व. मी.		
		76/1 में से	49.694 व. मी.		
		76/3 में से	10.607 व. मी.		
		76/3 में से	45.634 व. मी.		
		76/3 में से	40.999 व. मी.		
		76/3 में से	22.875 व. मी.		
		76/3 में से	14.494 व. मी.		
		76/3 में से	10.403 व. मी.		
		76/3 में से	20.494 व. मी.		
		76/5 में से	10.238 व. मी.		
		76/4 में से	19.662 व. मी.		
		76/5 में से	13.811 व. मी.		
		76/5 में से	13.737 व. मी.		
		76/4 में से	09.122 व. मी.		
		76/4 में से	45.163 व. मी.		
		76 में से	18.548 व. मी.		
		76 में से	04.754 व. मी.		
		नजूल ब्लॉक क्र.	56.925 व. मी.		
		67 प्लॉट क्र. 04			
		में से			
		कुल रकबा	1929.075 व. मी.		

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जून 2021

क्र. 206-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	भनिगवां	0.141 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	खरपटा भनिगवां मार्ग के कि. मी. 1/2 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जून 2021

रा. प्र. क्र. 003-09-अ-82-2020-21.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-तुर्कीखापा, प.ह.नं.-60, ब.न.-251, रा.नि.म.- इकलबिहरी	1. तानीबाई वि. सेवाराम, इमला पिता सेवाराम, मारोती, टन्टी, अजाब पिता सेवाराम निवासी ग्राम भूमिस्वामी- तुर्कीखापा.	261 291 294	0.300 0.070 0.304	गोरखपुर अजनी के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
			2. भैयालाल पिता मनाजी पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-तुर्कीखापा.	292/1	0.065	
			3. सम्भाजी पिता मनाजी पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी-तुर्कीखापा.	292/2	0.064	
			4. शंकर, साहेबराव, अजाबराव पिता मंशा, कचरा बेवा मंशा, मुन्नी, तुरजा, लहजा, चन्द्र पिता मंशा निवासी ग्राम भूमि स्वामी-तुर्कीखापा.	293	0.158	
			5. धनलाल, मनलाल पिता जग्गू, दुर्गा पिता जग्गू निवासी ग्राम भूमिस्वामी- तुर्कीखापा.	316	0.100	
कुल योग . .					01.061	

- (2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 14 जून 2021

प्र. क्र. 17-अ-82-19-20-निम्बोटी-5519.—भू-अर्जन अधिकारी मुलताई द्वारा प्रस्तावित किया गया कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत घाटबिरोली जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम निम्बोटी तहसील प्रभातपट्टन स्थित भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 13 फरवरी 2020 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु सिंचित/असिंचित भूमि के सम्बंध में आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतएव अधिनिर्णय पारित किए जाने हेतु समयावधि बढ़ाई जावे.

अतएव, समुचित सरकार की हैसियत से प्रदत्त अधिकारों के तहत अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल	प्रभातपट्टन	निम्बोटी	5.366	घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
खण्डवा, दिनांक 23 फरवरी 2021

नस्ती क्र.-एल.ए.-2021-प्र. क्र.-01-अ-82-2020.-शुद्धि
पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला प्रस्ताव
के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन)
कार्य हेतु ग्राम खड़की की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के
संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
अधिनियम, 2013 की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से
छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18
अक्टूबर 2019 को, स्वदेश निमाड़ा अंचल खण्डवा में दिनांक 19
अक्टूबर 2019 को, स्वदेश इन्दौर में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को,
आम इशतहार दिनांक 28 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की
वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 28 सितम्बर 2019 को किया गया.
रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया
गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
रकबा	रकबा
(1)	(2)
1.181 हे.	1.075 हे.

(2) उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.181 हे.
के स्थान पर 1.075 हे. पढ़ा जावे.

खण्डवा, दिनांक 31 मई 2021

नस्ती क्र. . . . -2020-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-0012-अ-
82-2020-2021.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15
(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित
समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने
के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के
अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा

43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार
को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,
2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—फतेहपुर
(घ) अर्जित रकबा—3.130 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
43	0.085
44	0.162
59	0.015
56	0.016
55	0.012
54	0.016
72	0.146
74	0.200
75	0.266
76	0.060
77	0.253
78	0.070
79	0.138
80	0.204
81	0.002
83	0.207
85	0.008
89/3	0.212
53	0.329
52	0.020
51/1	0.025
51/2	0.032
50	0.102
49	0.112

(1)	(2)
48/2	0.224
48/1	0.123
46	0.091

योग : 3.130

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 7 जून 2021

नस्ती क्र. 007-2021-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-0013-अ-82-2020-2021.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—जावर
(घ) अर्जित रकबा—1.047 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
737	1.047
योग :	<u>1.047</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर. डी. 12.83 कि.मी. पर पम्पहाऊस नम्बर-02 के निर्माण एवं उस पर आवागमन के लिये पहुंच मार्ग के निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. . . . एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0005-अ-82-2019-20-शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अपलोड किया गया. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
-	-	178/1	0.0153 हे.
-	-	272	0.0289 हे.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.3200 हे. के स्थान पर रकबा 1.3642 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र. . . . एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0005-अ-82-2019-20-शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in

पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा (1)	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा (2)		
1.3200 हेक्टे.	1.3642 हेक्टे.	—	242
		—	239
		—	390
		—	391
		—	434/1
		—	434/2
		—	365

(2) उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.3200 हेक्टे. के स्थान पर 1.3642 हेक्टे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र. . . . एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0004-अ-82-2019-20-शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अपलोड किया गया. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि खसरा नंबर	रकबा	सही संशोधित प्रविष्टि खसरा नंबर	रकबा
—	—	274	0.070 हे.
—	—	275	0.050 हे.
—	—	276	0.010 हे.
—	—	269	0.020 हे.
—	—	268/1/1	0.050 हे.
—	—	243/1	0.020 हे.
—	—	243/2	0.070 हे.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.882 हे. के स्थान पर रकबा 2.582 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र. . . .-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0004-अ-82-2019-20-शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, नवभारत में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खंडवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा (1)	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा (2)
1.882 हेक्टे.	2.582 हेक्टे.

(2) उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.882 हेक्टे. के स्थान पर 2.582 हेक्टे. पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(धारा 6 देखिए)

सागर, दिनांक 19 मार्च 2021

क्र. 69-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-2648-मौजा टड़ा पट.ह.नं.-01, तहसील रहली.—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना (263 किमी) निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा टड़ा पटवारी हल्का नंबर-01 तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 651, 650, 652, 654 रकबा क्रमशः 0.590, 0.590, 0.030, 0.330 हे.

में से कुल रकबा 0.250 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है:—

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

संलग्न:—प्ररूप ख एवं ग

अ.वि.अ. रहली का प्रकरण क्रमांक 02 अ/82/20-21 ग्राम टड़ा, तहसील गढ़ाकोटा

प्ररूप—ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना
2	लोक प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा.
3	स्थल	ग्राम टड़ा पट.ह.नं.-01 तहसील टड़ा
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 0.250 है. अशासकीय भूमि
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है.
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित.	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता/निर्माण II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा.
7	परियोजना निर्माण के चरण	रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है.
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम टड़ा की 0.25 है. शासकीय भूमि
10	भूमि का मूल्य	ग्राम टड़ा की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.250 है. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000-00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000-00 रुपये मात्र है.
11	प्रभावित परिवारों की संख्या [अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार].	04
12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति—कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है.
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई:—	विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या			
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग
0	0	0	0

14	सामाजिक समाघात	
	(क) समाघातों का विवरण	निरंक
	(ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु
	(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?	पूर्णतः से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा.
	(ख) यदि नहीं—तो क्यों?	निरंक
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है. परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा. अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है.

अ.वि.अ. सागर का प्रकरण क्रमांक 02 अ/82/20-21 ग्राम टड़ा, तहसील रहली

प्ररूप—ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन.	प्रभावित नहीं है
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं है
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान.	उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है.
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है.
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)	
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	96	0.100	
	184	0.070	
दतिया, दिनांक 28 मई 2021	185	0.070	
प्र. क्र. 09-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	189	0.800	
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	190	1.050	
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन	191	0.750	
के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन	192	0.800	
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की	193	0.800	
धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त	197	0.600	
भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—	198	0.520	
अनुसूची	199	0.570	
(1) भूमि का वर्णन—	201	0.240	
(क) जिला—दतिया	202	0.400	
(ख) तहसील—सेवड़ा	203	0.390	
(ग) ग्राम—बसईमलक	205	0.300	
(घ) क्षेत्रफल—76.900 हेक्टेयर.	206	0.550	
खसरा नंबर	प्रभावित रकबा	207	0.160
	(हेक्टे. में)	209	0.230
(1)	(2)	210	0.340
2	0.230	211	0.500
3	1.390	212	0.450
5	0.570	213	2.110
6	0.370	214	0.100
7	0.520	215	0.120
8	0.810	217	0.320
9	0.800	218	0.410
10	0.800	219	0.050
11	0.480	220	0.040
83	0.850	221	0.080
84	0.800	222	0.860
88	0.220	226	0.160
90	0.080	227	0.200
91	0.180	229	0.410
93	0.030	230	0.400
94	0.100	231	0.400
95	0.060		

(1)	(2)	(1)	(2)
232	0.430	294	0.010
233	0.360	300	0.700
236	0.960	301	0.040
237	0.240	303	0.110
238	0.800	305	0.050
239	0.500	310	1.360
240	0.160	311	0.800
241	1.050	312	0.290
242	0.040	313	0.160
243	0.070	314	0.130
246	1.230	315	0.020
249	0.020	316	1.100
252	0.550	317	0.800
253	0.600	318	0.800
254	0.100	320	0.050
257	0.090	323	0.790
258	0.090	333	0.050
262	0.620	340	0.160
264	0.040	341	0.090
265	0.040	343	0.400
266	0.160	344	0.400
270	0.800	345	0.400
273	0.500	347	0.430
275	0.750	349	0.340
276	0.580	350	0.170
277	0.220	352	0.810
279	0.550	353	0.320
280	0.170	366	0.140
281	0.220	367	0.200
283	0.340	368	0.300
284	0.220	369	0.320
288	0.630	370	0.100
289	0.270	371	0.160
290	0.330	373	0.350
291	0.030	374	0.990
293	0.090	375	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
390	0.150	269/2	0.070
391	0.370	269/3	0.070
392	0.260	269/4	0.030
393	0.290	274/1	0.260
395	0.390	274/2	0.090
396	0.370	282/1	0.180
397	0.420	282/2	0.180
398	0.540	286/1	0.330
399	0.100	286/2	0.040
419	0.150	286/3	0.050
421	0.490	287/1	0.050
425	0.340	287/2	0.120
432	0.030	287/3	0.340
4/1	0.130	319/1	0.240
4/2	0.140	319/2	0.460
179/3	1.000	322/1	1.100
183/1	0.800	322/2	2.200
186/1	1.070	348/2	0.800
188/1	0.400	485/290	0.050
194/1	0.170	488/424	0.100
195/3	1.000	489/350	0.130
196/2	1.000	81/2	0.400
208/1	0.320	89/2	0.600
208/2	0.210	92/2	1.600
223/1	1.380	97/2	1.000
223/2	0.930	कुल प्रभावित सर्वे नं. 185	76.900
225/min-1	0.650	प्रभावित रकबा	
225/min-2	0.500	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माँ	
225/min-3	0.260	रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के	
225/min-4	0.010	डूब क्षेत्र हेतु.	
248/min-2	0.400	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी	
255/1	0.280	एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवदा, जिला दतिया के	
255/2	0.270	कार्यालय में किया जा सकता है.	
260/1	0.200	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
260/2	0.110	संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
269/1	0.090		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	(3)
पन्ना, दिनांक 4 जून 2021	1130	0.020	निजी भूमि
	1119	0.010	निजी भूमि
	1129	0.050	निजी भूमि
प्र. क्र. 28-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—	1118/1	0.030	निजी भूमि
	1120/1	0.200	निजी भूमि
	1120/2	0.130	निजी भूमि
	1076/1	0.070	निजी भूमि
	1079	0.020	निजी भूमि
	966	0.180	निजी भूमि
	965/1	0.070	निजी भूमि
	967	0.020	निजी भूमि
	922/1	0.130	निजी भूमि
	922/2	0.050	निजी भूमि
	920/2	0.020	निजी भूमि
	921	0.010	निजी भूमि
	913	0.130	निजी भूमि
	914	0.090	निजी भूमि
	908	0.130	निजी भूमि
	907	0.010	निजी भूमि
	906	0.040	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—	724	0.010	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना	725	0.060	निजी भूमि
(ख) तहसील—पवई	726	0.010	निजी भूमि
(ग) ग्राम—सिमरिया गुलाबसिंह	727	0.040	निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल—6.080 हेक्टेयर.	728	0.030	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
1153/3	0.010	निजी भूमि	730
1099	0.010	निजी भूमि	731
1101/1	0.230	निजी भूमि	729
1146/1	0.060	निजी भूमि	732
1146/2	0.060	निजी भूमि	736
1145/1/ख	0.010	निजी भूमि	735
1145/2	0.010	निजी भूमि	734
1144	0.040	निजी भूमि	733/1183
1143	0.010	निजी भूमि	574/1
1140	0.040	निजी भूमि	574/2
			574/3
			573/1
			573/2

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
751/2	0.020	निजी भूमि	417	0.010	निजी भूमि
519	0.050	निजी भूमि	418	0.080	निजी भूमि
518/1	0.130	निजी भूमि	419	0.070	निजी भूमि
517/1	0.020	निजी भूमि	645	0.010	निजी भूमि
520/2	0.200	निजी भूमि	646	0.080	निजी भूमि
521	0.140	निजी भूमि	648	0.130	निजी भूमि
530/1	0.070	निजी भूमि			
522/2	0.180	निजी भूमि		योग . . 6.080 हे	
238	0.13	निजी भूमि			
237/2	0.010	निजी भूमि	(2)		सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:—
236/1	0.080	निजी भूमि			पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं
236/2	0.110	निजी भूमि			सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का
242/1	0.005	निजी भूमि			प्रकाशन, ग्राम-सिमरिया गुलाबसिंह, तहसील एवं
242/2	0.015	निजी भूमि			अनुभाग पवई.
241/2	0.010	निजी भूमि	(3)		भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय
241/3	0.160	निजी भूमि			अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई
243/2	0.010	निजी भूमि			में किया जा सकता है.
254/1	0.090	निजी भूमि			
254/2	0.080	निजी भूमि			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
255	0.010	निजी भूमि			संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
256	0.120	निजी भूमि			
259	0.010	निजी भूमि			कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
260	0.360	निजी भूमि			उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
261	0.220	निजी भूमि			
262	0.010	निजी भूमि			रीवा, दिनांक 8 जून 2021
263	0.090	निजी भूमि			पत्र क्र. 207-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात
397	0.010	निजी भूमि			का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के
398	0.100	निजी भूमि			कॉलम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में
399	0.090	निजी भूमि			उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए
400	0.010	निजी भूमि			आवश्यकता है.
401	0.060	निजी भूमि			
402	0.050	निजी भूमि			अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
403	0.070	निजी भूमि			और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19
413/1200	0.010	निजी भूमि			उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/
413/1	0.055	निजी भूमि			शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
413/2	0.055	निजी भूमि			
415	0.100	निजी भूमि			चूंकि ग्राम रीवा-553, राजस्व निरीक्षक मण्डल, रीवा, पटवारी
416/2	0.070	निजी भूमि			हल्का रीवा तहसील हुजूर, रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर पुल
					एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा

(2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुसूची

उज्जैन, दिनांक 10 जून 2021

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) नगर/ग्राम—रीवा-553
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.103 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
172/1/1/1/1/1	0.041
172/1/1/2	0.040
172/1	0.016
172/1/1/3	0.006
कुल 04 किता . .	<u>0.103</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:—
रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुँचमार्ग कार्य हेतु
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. भू-अर्जन-2021-450-राजस्व प्रक. क्र. 0006-अ-2020-21.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
 (ख) तहसील—उज्जैन
 (ग) कस्बा उज्जैन
 (घ) अर्जित रकबा 0.029 हेक्टेयर

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	परिसंपत्तियां रकबा (हे. में)	परिसंपत्तियां (3)
(1)	(2)	(3)	
2334/मिन-2	0.029		निर्मित मकान

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:— इन्टर प्रिटेसन सेंटर के पास श्री महाकालेश्वर मंदिर में पधारने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग, अतिथि निवास आदि सुविधा विकसित करने हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2021-453-राजस्व प्रक. क्र. 01-अ-82-21-22.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (2)
श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के संबंध में	0.324 वर्ग मीटर

अनुसूची (2)

श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण:—तहसील व जिला उज्जैन, कस्बा उज्जैन:—

क्र.	भूमि सर्वे क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम	कुल रकबा	प्रस्तावित अधिग्रहित रकबा	परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2107	पं. सूर्यनारायण व्यास पिता सत्यनारायण व्यास	0.073	0.073	बड़ा गणेश मंदिर शासकीय पक्का निर्माण 126.40 वर्गमीटर विनोदशंकर पिता सत्यनारायण पक्का मकान 95.35 वर्ग मी. बालकृष्ण पिता नारायण व्यास पक्का मकान 161.13 वर्ग मी.
2	2108	सत्यनारायण पिता नागेश्वर जाति ब्राह्मण नि. सिंहपुरी	0.084	0.084	तिलक पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 58 वर्ग मी. साकेत पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 83.13 वर्ग मी. विनोद पिता सत्यनारायण व्यास पक्का मकान 196.28 वर्ग मी. कुंआ—1 पक्का
3	2109	मणिशंकर पिता गिरजाशंकर नि. उज्जैन	0.094	0.094	दरगाह एवं खुली भूमि 85 वर्ग मीटर निलेश गर्ग टीन शेड गोडाउन 91.42 वर्ग मीटर कालू सिंधी पक्का मकान 46 वर्गमीटर मुरलीधर शर्मा पक्का मकान 32.43 वर्ग मीटर एवं ट्यूबवेल-1 दीक्षित जी पक्का मकान 32.43 वर्ग मीटर गोपी कंजर लाज पक्का मकान 115.66 वर्ग मीटर
4	2110	रामकृष्ण पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण मृतक वारिसान हेमन्त यशवंत पिता रामकृष्ण कामिनी नलिनी वर्षा पिता रामकृष्ण भगवती विधवा रामकृष्ण व्यास नि.—उज्जैन.	0.073	0.073	यशवंत व्यास मकान पक्का 179.20 वर्ग मीटर

क्र. भू-अर्जन-2021-452-राजस्व प्रक. क्र. 0007-अ-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) कस्बा—उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 0.623 हेक्टेयर

क्र.	सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2324/2/1	0.068	जेहराबी पति आरिफ अली कच्चा मकान 20×20
2	2324/2/2	0.013	1. जायराबी पिता मो. युसूफ दुकान व मकान 10×30 2. इरफान पिता अ. हकीम टीनशेड 13×38 3. जमीला पिता मजहर अली, टीनशेड मकान 20×40
3	2325/2/1	0.052	-
4	2325/2/2	0.046	-
5	2328	0.015	1. मो. इरफान पिता मो. युसूफ दुकान व मकान 10×30 2. इरशाद पिता अब्दुल हमीद दुकान 15×30
6	2329	0.007	अकीला बी पति अफजल हुसेन मकान व दुकान 15×30
7	2405/मिन-1	0.013	जरीना बी झोपड़ी
8	2406	0.095	1. नईम बेग पिता सुल्तान—मकान 2. समीर पिता इब्राहीम—मकान 3. श्रीमती कमरून पति इब्राहीम—मकान
9	2433/5	0.310	-
10	2330/मिन-1	0.004	-
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चारधाम मंदिर पानी की टंकी से त्रिवेणी इंटरप्रिटेशन सेंटर तक रोड चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण.		
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.